भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-169

उत्तर देने की तारीख-21/07/2025

विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और संस्थानों की स्थापना

†169. श्रीमती शांभवी:

श्री नरेश गणपत म्हस्के:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:

श्री राजेश वर्मा:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में स्थापित विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और स्वतंत्र संस्थानों की संख्या का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आकांक्षी जिलों अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के क्षेत्रों में स्थापित उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या का राज्यवार, जिलावार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश में नए विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और संस्थानों की स्थापना के माध्यम से उच्च शिक्षा तक पहुँच के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) शैक्षणिक गुणवत्ता, अवसंरचना और संकाय भर्ती में सुधार के साथ-साथ संस्थानों की संख्या में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) अवसंरचना के अंतर्गत मौजूदा मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों को स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले संस्थानों में परिवर्तित करने की योजना बना रही है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क): भारत में एआईएसएचई 2018-19 और एआईएसएचई 2022-23 (अनंतिम) के अनुसार, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) में पंजीकृत विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और संस्थानों की संचयी संख्या इस प्रकार है:

संस्था के प्रकार	संस्थाओं की संख्या	
	2018-19	2022-23 (अनंतिम)
विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर	993	1213
कालेज	39931	46624
स्टैंडअलोन संस्थान	10725	12543
कुल	51649	60380

वर्ष 2018-19 और वर्ष 2022-23 के लिए एआईएसएचई के साथ पंजीकृत विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्टैंडअलोन संस्थानों की राज्यवार संख्या https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर दी गई है।

(ख): एआईएसएचई वर्ष 2022-23 (अनंतिम) के अनुसार 112 आकांक्षी जिलों में एआईएसएचई में पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थानों की संख्या 4502 है। आकांक्षी जिलेवार उच्चतर शिक्षा संस्थानों की संख्या https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध है।

एआईएसएचई के अनुसार, वर्ष 2018-19 और 2022-23 (अनंतिम) के लिए आकांक्षी जिलों वाले राज्यों का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध है।

(ग): शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षिक रूप से असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए 12926.10 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ जून 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के रूप में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया है। यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य विशिष्ट राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को वित्तपोषित करना है, ताकि निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप उनकी गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित किया जा सके। पीएम-उषा के अंतर्गत, फोकस जिलों को प्राथमिकता दी जाती है। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा फोकस जिलों की पहचान निम्न सकल नामांकन अनुपात (जीईआर), लैंगिक समानता, जनसंख्या अनुपात और महिलाओं, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नामांकन अनुपात, आकांक्षी/सीमावर्ती क्षेत्र/वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले आदि सहित विभिन्न मानदंडों के आधार पर की जाती है।

(घ): सरकार ने उच्चतर शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. अधिक एचईआई को खोलना- एआईएसएचई के तहत पंजीकृत विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाओं की संख्या वर्ष 2014-15 में 760 से बढ़कर वर्ष 2022-23 (अनंतिम) में 1213 हो गई है। इसी प्रकार, एआईएसएचई के तहत पंजीकृत कॉलेजों की संख्या वर्ष 2014-15 में 38498 से बढ़कर वर्ष 2022-23 (अनंतिम) में 46624 हो गई है।

ii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रों तथा अल्पसेवित क्षेत्रों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति योजनाओं का कार्यान्वयन करना।

iii. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा अच्छा प्रदर्शन करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (एनएएसी और एनआईआरएफ रैंकिंग के आधार पर) को गुणवत्ता मापदंडों के आधार पर पूर्ण मुक्त दूरस्थ शिक्षा/ऑनलाइन कार्यक्रम प्रदान करने की अनुमति देना।

iv. उच्चतर शिक्षा प्रणाली में अत्यंत आवश्यक लचीलापन और उचित निकास तथा पुनः प्रवेश विकल्प उपलब्ध कराना, ताकि विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा का मार्ग चुनने में सुविधा हो।

v. एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित करने की अनुमति।

vi. उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को एक शैक्षणिक वर्ष में दो प्रवेश चक्रों की अनुमति देना।

vii. युवा आकांक्षी मन के लिए सक्रिय अधिगम का वेब अध्ययन (स्वयं) मंच के माध्यम से सभी शिक्षार्थियों को किसी भी समय, कहीं भी अधिगम के अवसर प्रदान करना, जो विभिन्न विषयों में उच्च गुणवत्ता वाले संरचित ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

viii. स्वयम प्लेटफॉर्म का उपयोग करके नियमित पाठ्यक्रमों में 40% तक क्रेडिट की अनुमति।

ix. छात्रों की सुविधा के लिए जेईई, एनईईटी (यूजी) और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) परीक्षाओं को 13 भाषाओं में आयोजित करना और छात्रों, विशेष रूप से स्थानीय/ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों की सुविधा के लिए भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना।

उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है। आवश्यकता के अनुसार, समय-समय पर शैक्षणिक संस्थाएं खोली जाती हैं। केंद्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को क्षेत्र की अन्य संस्थाओं को शैक्षणिक नेतृत्व प्रदान करने हेतु प्रगति संबंधी मानक निर्धारक संस्थाओं के रूप में परिकल्पित किया गया है।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश उच्चतर शिक्षा संस्थाएं संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और केंद्र देश के छात्रों की शैक्षिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं।

(ङ) और (च): एनईपी 2020 में यह परिकल्पना की गई है कि नीति द्वारा परिकल्पित नई नियामक प्रणाली नवाचार के लिए सशक्तीकरण और स्वायत्तता की समग्र संस्कृति को बढ़ावा देगी, जिसमें ग्रेडेड स्वायत्तता की प्रणाली के माध्यम से पंद्रह वर्षों की अवधि में धीरे-धीरे 'संबद्ध कॉलेजों' की प्रणाली को समाप्त करना और चुनौती मोड में संपादित करना शामिल है। संबद्धता प्रदान करने वाला प्रत्येक मौजूदा विश्वविद्यालय अपने संबद्ध महाविद्यालयों को मार्गदर्शन देने के लिए जिम्मेदार होगा, ताकि वे अपनी क्षमताओं का विकास कर सकें और शैक्षणिक एवं पाठ्यचर्या संबंधी मामलों; शिक्षण एवं मूल्यांकन; शासन सुधार; वित्तीय सुदृढ़ता; और प्रशासनिक दक्षता में न्यूनतम मानक प्राप्त कर सकें। वर्तमान में किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालयों को निर्धारित प्रत्यायन मानक प्राप्त करने के लिए समय के साथ अपेक्षित मानक अर्जित करने होंगे तथा अंततः स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले महाविद्यालय बन जाएंगे। इसे समुचित मार्गदर्शन और सरकारी सहायता सहित एक समन्वित राष्ट्रीय प्रयास के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

****